राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 9517/2024

नीरज कंवर पुत्री श्री बलवीर सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी चक गणेशगढ़ (डूंगरसिंहपुरा), जिला गंगानगर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) ।
2. संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग (के.4/2), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग जरिए सचिव, अजमेर ।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से	:	श्री आनंद पुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्ता, के सहायक श्री मयंक रॉय, श्री समीर पारीक और श्री विशाल सिंघल।
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री राजेश पंवार, वरिष्ठ अधिवक्ता-सह-एएजी, के सहायक सुश्री मीनल सिंघवी।

-

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

निर्णय

आरक्षित तिथि : 06/03/2025

उच्चारण तिथि : 27/03/2025

1. यहां याचिकाकर्ता, एक विधवा, जिसका विवाह अब मृत पति से पूरी तरह टूट गया है, जिसके परिणामस्वरूप वैवाहिक कटुता और संपार्श्विक आपराधिक कार्रवाई हुई, राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) में एक अधिकारी बनने की आकांक्षी, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादीगण को उसकी योग्यता के अनुसार उसकी नियुक्ति करने का आदेश देने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करने की मांग करती है, जिसे उसके अलग हुए पति द्वारा उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही के कारण अस्वीकार किया जा रहा है।

1.1. वैवाहिक कलह के कारण, याचिकाकर्ता-पत्नी ने आईपीसी की धारा 354, 355, 323, 329, 404, 406, 406, 420 और 498-ए सपठित धारा 120-बी के अंतर्गत एफआईआर संख्या 0164/2021, दिनांक 19.08.2021 (इसकी एक प्रति पूर्व सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई और अभिलेख पर ली गई) भी दर्ज कराई। जबकि, उनके दिवंगत पति ने भारतीय दंड संहिता

की धारा 452, 341, 323 और 143 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दिनांक 04.09.2020 को एफआईआर संख्या 0530/2020 दर्ज कराई थी, अन्वेषण के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 451 सपठित 34 के अंतर्गत दिनांक 12.02.2021 को चालान (अंतिम रिपोर्ट) दाखिल किया गया (अभिकथन/आयुध अधिनियम के आरोप हटा दिए गए)। यह वही पश्चात्कथित स्थिति है जिसने उसके कैरियर के लक्ष्य के लिए एक विनाशकारी रूप धारण कर लिया है तथा वर्तमान सेवा रिट याचिका की उत्पत्ति का कारण बनी है।।

<u>तथ्य</u>

2. याचिका में अभिवाक् किये गए सुसंगत तथ्य यह हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती के लिए 20.07.2021 को विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के कारण आवेदन किया और पहले प्रारंभिक परीक्षा दी, जिसमें उसने 27.10.2021 को आयोजित संयुक्त लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की। इसमें सफल होने के बाद, उसने 09.10.2023 को साक्षात्कार दिया।

2.1 याचिकाकर्ता को आरपीएससी द्वारा प्रकाशित चयन सूची के अनुसार सफल घोषित किया गया और उसे 25.01.2024 को मेडिकल बोर्ड के समक्ष

उपस्थित होने के लिए कहा गया। हालाँकि, बाद में अन्य चयनित अभ्यर्थियों सहित याचिकाकर्ता से कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए, लेकिन याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति देने से इंकार कर दिया गया।

2.2. पूछताछ करने पर, उन्हें मौखिक रूप से बताया गया कि उनके पति द्वारा दर्ज कराई गई एक एफआईआर के कारण उनकी नियुक्ति रोक दी गई है। कई बार अनुरोध करने के बावजूद, याचिकाकर्ता की नियुक्ति रोकने का कोई लिखित कारण नहीं बताया गया।

2.3 यह दावा करते हुए कि याचिकाकर्ता के पति ने उसके और उसके परिवार के विरुद्ध उत्पीड़न के व्यापक आरोप लगाते हुए एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, याचिकाकर्ता ने इस निर्णय के आरंभिक भाग में उल्लिखित अनुतोष के लिए यह याचिका दायर की है।

जवाब में लिया गया रुख

3. प्रतिवादीगण द्वारा दायर जवाब में अपनाए गए रुख, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार हैं:-

3.1. यह है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दिनांक 04.09.2020 को एक एफआईआर के माध्यम से पंजीबद्ध किया गया था,

जिसके बाद सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत दिनांक 12.02.2021 को अंतिम रिपोर्ट दी गई और वर्तमान में सक्षम न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित है।

3.2. इसके अतिरिक्त, सरकारी सेवा हेतु चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध लंबित आपराधिक विचारण की दृष्टि में, कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के अनुसार उसे नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाता है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने अपने-अपने पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है तथा साथ ही संलग्न अभिलेखों के साथ अभिवचनों का परिशीलन किया है।

5. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 23.07.2024 के आदेश के तहत, जो उस समय मामले पर विचार कर रही थी, याचिकाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों के तहत अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था:-

> *"पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।*
>
> *वर्तमान रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 20.07.2021 की अधिसूचना के अग्रसरण में आयोजित आरएएस/आरटीएस परीक्षा में उसके चयन के अनुसरण में नियुक्ति आदेश जारी किया जाए।*

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा आरएएस/आरटीएस के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया उत्तीर्ण करने के बावजूद, उसे इस आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है कि उसके पति द्वारा उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 452, 341, 323, 143 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अंतर्गत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि उसके पति ने किसी वैवाहिक विवाद के चलते एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने दलील दी कि अभिकथित अपराधों में भी नैतिक अधमता शामिल नहीं है। इसलिए, उनकी प्रार्थना है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार किया जाए और प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता को नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाए।

इसके विपरीत, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। यह भी तर्क दिया गया कि चूँकि याचिकाकर्ता एक आपराधिक मामले में संलिप्त है, इसलिए उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है।

मैंने न्यायालय में प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है तथा मामले से संबंधित अभिलेख का भी अध्ययन किया है।

याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.07.2021 की अधिसूचना के अनुसरण में चयन प्रक्रिया उत्तीर्ण कर ली है, तथापि, उसे एक आपराधिक मामले के लंबित होने के आधार पर नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान परिस्थितियों में, वैवाहिक कलह के कारण याचिकाकर्ता के पति द्वारा उसके विरुद्ध दर्ज कराई गई एफआईआर नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती।

इस मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

नोटिस जारी करें। स्थगन आवेदन की भी सूचना जारी करें।

जारी किया गया नियम 03.09.2024 को वापस करने योग्य है।

इस बीच, प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार समुचित श्रेणी में नियुक्ति आदेश जारी करें। याचिकाकर्ता को नियमों के अनुसार प्रशिक्षण आदि के लिए भेजा जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अनंतिम होगी तथा यह रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

प्रतिवादीगण इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को रद्द करने/संशोधित करने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

6. आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ता के पति, जिन्होंने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, की मृत्यु याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र अनुलग्नक-2 को 16.08.2021 को या उसके आसपास जमा करने से पहले हो गई थी, जो उसकी वैवाहिक स्थिति को 'विधवा' के रूप में दर्शाता है।

<u>याचिकाकर्ता की ओर से तर्क</u>

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद पुरोहित ने निम्नलिखित तर्क दिया:-

7.1. याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर के संबंध में कोई जानकारी नहीं छिपाई। उसने स्वेच्छा से एफआईआर संख्या 530/2020,

दिनांक 04.09.2020, जो पुलिस स्टेशन हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज है, का प्रकटन किया। यह एफआईआर उसके अलग हुए पति द्वारा वैवाहिक कलह के कारण दर्ज कराई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया और विचारण अभी भी लंबित है।

7.2. इस प्रकार, याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार के दमन या छिपाने का आरोप नहीं है। यहाँ तक कि अपराध भी, किसी भी प्रकार से, याचिकाकर्ता द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे।

7.3 ***अवतार सिंह बनाम भारत संघ***[1] मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि यदि किसी मामले में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में सच्चाई से तथ्य घोषित किया गया है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अपने विवेकानुसार

---

1 2016 (8) एससीसी 471

, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन अभ्यर्थी को नियुक्त कर सकता है।

7.4. विज्ञापन के अनुलग्नक-1 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि अध्याय IV के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध से संबंधित कोई मामला अन्वेषणाधीन है, विचारणाधीन है या उसमें दोषसिद्धि और सजा हो चुकी है तो अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, उसने चयन और नियुक्ति की आकांक्षा की, सभी औपचारिकताएं पूरी कीं, शुल्क जमा किया और पद के लिए आवेदन किया। उसने संघर्ष किया और कड़ी मेहनत की, प्रतियोगी लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार की तैयारी की, योग्यता के आधार पर स्थान प्राप्त किया और चयनित भी हुई। उससे कम योग्यता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। वह उत्सुकता से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी, जब प्रतिवादीगण के पास जाने पर उसे अचानक से मौखिक रूप से बताया गया कि उसके पति द्वारा उसके विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर के कारण उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता।

7.5. यह तर्क दिया गया है कि एफआईआर, जो एक वैवाहिक विवाद से उपजी है, झूठे आरोपों पर आधारित है, अपराध तुच्छ प्रकृति के हैं और

किसी भी मामले में नैतिक अधमता से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध मामले का सही प्रकटन किया है।

7.6 ऐसी परिस्थितियों में, वैवाहिक विवाद से उत्पन्न लंबित मुकदमे के कारण याचिकाकर्ता को नियुक्त करने से इंकार करना अन्यायपूर्ण एवं अवैध है।

7.7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया कि याचिका के पैरा-9 में, जहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादीगण से अनुरोध किया था कि वे उसके पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न करने का कारण बताएँ। इसके समर्थन में, उसने पंजीकृत डाक और ई-मेल द्वारा भेजे गए लिखित आवेदन की प्रतियाँ, अनुलग्नक-7 (डाक पंजीकरण रसीद सहित) भी प्रस्तुत कीं। अपने उत्तर के तत्संबंधी पैरा 5 में, प्रतिवादीगण ने इन प्रकथनों का विशेष रूप से खंडन नहीं किया, बल्कि केवल सामान्य शब्दों में कहा कि इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है, जो याचिका में उक्त प्रकथनों को विवक्षित रूप से स्वीकार करने के समान है, क्योंकि उसे कारण नहीं बताए गए हैं।

7.8 यह भी तर्क दिया गया कि नैसर्गिक न्याय और निष्पक्षता के नियमों के अनुसार, प्रतिवादीगण को कम से कम याचिकाकर्ता को लिखित रूप में

कम से कम यह बताना चाहिए था कि योग्यता के आधार पर चयन के बावजूद, उसे नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं किया गया, जिससे याचिकाकर्ता को कारण पूछने/चुनौती देने का अवसर भी नहीं मिला, यदि दिया गया हो।

7.9. यह भी तर्क दिया गया है कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.12.2019 (अनुलग्नक R/1), जो चरित्र सत्यापन से संबंधित है, इस प्रस्ताव से भी संबंधित है कि दोषसिद्धि या दोषमुक्ति की सीमित प्रासंगिकता होगी, लेकिन अभ्यर्थी के चरित्र की अधिक प्रासंगिकता होनी चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी इसके लिए स्वतंत्र होगा कि वह अभ्यर्थी के चरित्र का आकलन करे कि क्या यह प्रश्नगत पद की आवश्यकता के अनुरूप होगा। परिपत्र में किए गए सूत्रीकरण, जो सामान्यतः नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा विचार का मार्ग प्रशस्त करेंगे, भी निर्धारित किए गए हैं। याचिकाकर्ता निरर्हता की श्रेणी में नहीं आता है, जो परिपत्र दिनांक 04.12.2019 में अधिकथित है।

7.10. श्री आनंद पुरोहित ने अपने तर्क के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***पवन कुमार बनाम भारत संघ (यूओआई)***[2] शीर्षक के मामले में दिए गए निर्णय और इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा ***जुबैर भाटी बनाम***

राजस्थान उच्च न्यायालय[3] शीर्षक के मामले में दिए गए निर्णय का भी सहारा लिया।

---

2 (2023) 12 एससीसी 317

3 राजस्थान उच्च न्यायालय, डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17047/2022, दिनांक 11.07.2024 को निर्णीत

<u>प्रतिवादीगण की ओर से तर्क</u>

8. तदनुसार, प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता/ एएजी श्री राजेश पंवार ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि एक बार पुनर्विलोकन समिति ने याचिकाकर्ता की आपराधिता और उसकी भूमिका पर अपना विचार कर लिया है, साथ ही इस तथ्य पर भी विचार कर लिया है कि उसके विरुद्ध आरोपित अपराध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अध्याय XVI और XVII का हिस्सा हैं, तो इस न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करके अपने विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

8.1. इसके समर्थन में, वह ***अनिल भारद्वाज बनाम मध्य प्रदेश राज्य***[4] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देंगे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"12. न्यायिक सेवा में भर्ती मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। इस न्यायालय ने सभी राज्यों को अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को समय-सीमा में भरने का निर्देश जारी

4 *(2021) 13 एससीसी 323*

किया है। यह निर्देश इस न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्तान (3) एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य, 2008(17) एससीसी 703 में जारी किया गया था। जिला न्यायाधीश के पद को भरने के लिए चयन प्रक्रिया सभी उच्च न्यायालयों द्वारा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरी की जानी है। मेरिट सूची की घोषणा के बाद अभ्यर्थियों को समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां दी जानी हैं ताकि वे संबंधित पदों पर कार्यभार ग्रहण कर सकें। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जिस तिथि को समिति ने अपीलार्थी को अनुपयुक्त घोषित किया, उस समय उसके विरुद्ध धारा 498ए और 406 आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक मामला लंबित था, जो अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती पूजा द्वारा दायर एक परिवाद पर दर्ज किया गया था। केवल चयन सूची में शामिल होने से किसी अभ्यर्थी को अजेय अधिकार नहीं मिलता है। नियोक्ता को किसी भी वैध आधार पर चयन सूची में शामिल अभ्यर्थी को नियुक्ति देने से इनकार करने का अधिकार है। राज्य की न्यायिक सेवा में आने वाले व्यक्तियों से बेदाग चरित्र और आचरण की उम्मीद की जाती है। यह निर्विवाद है कि धारा 498 ए और 406 आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक मामला उस समय लंबित था जब अपीलार्थी ने भर्ती के लिए आवेदन किया था, जब वह साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ और जब परिणाम घोषित किया गया था। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट राज्य से प्राप्त हुई थी जिसमें आपराधिक मामले के लंबित होने का उल्लेख किया गया था जो समिति द्वारा अपीलार्थी को अनुपयुक्त घोषित करने का कारण था। जिस दलील पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी को बाद में

दोषमुक्त किए जाने के मद्देनजर उसके मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी और क्या वह नियुक्त होने का हकदार था।

23. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, परीक्षा-सह-चयन एवं नियुक्ति समिति द्वारा अपीलार्थी को अयोग्य ठहराने का निर्णय सुसंगत विचारणा पर आधारित था, अर्थात, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए/406/34 के अंतर्गत एक आपराधिक मामला विचाराधीन था, जो अपीलार्थी की पत्नी द्वारा दायर एक परिवाद पर दर्ज किया गया था। समिति का ऐसा निर्णय पूरी तरह से समिति के अधिकार क्षेत्र और शक्ति के अंतर्गत था और इसे असंधार्य नहीं कहा जा सकता। केवल यह तथ्य कि एक वर्ष से अधिक समय बाद जिस व्यक्ति की अभ्यर्थिता रद्द की गई थी, उसे दोषमुक्त कर दिया गया है, समय को पीछे ले जाने का आधार नहीं हो सकता।

8.2 विद्वान एएजी ने दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन की शर्त संख्या 15 के साथ-साथ दिनांक 04.12.2019 के परिपत्र/अधिसूचना का भी हवाला दिया। दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन की शर्त संख्या 15 के अनुसार, यह आज्ञापक है कि दस्तावेज़ सत्यापन के समय, अभ्यर्थियों को एक चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उनके विरुद्ध किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है, जो सेवाओं में उनकी नियुक्ति के उद्देश्य को ही विफल कर देता है। इसके अलावा, शर्त में विशेष रूप से कहा गया है कि यदि कोई मामला विचाराधीन है, तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। प्रतिवादीगण द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने भर्ती

प्रक्रिया के दौरान न तो इस शर्त को चुनौती दी है और न ही कोई आपत्ति जताई है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है और इसलिए उसे बाद में इस प्रक्रम पर कोई भी आपत्ति उठाने से प्रवारित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को उपरोक्त विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा। विज्ञापन की उपर्युक्त शर्त के आलोक में, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अपने विरुद्ध चल रहे मुकदमे के कारण राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए अयोग्य है।

8.3. अपने तर्कों के समर्थन में, वह ***बेदंगा तालुकदार बनाम सैफुदाउल्लाह खान***[5] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला देंगे।

8.4. वह यह तर्क देंगे कि दिनांक 04.12.2019 के परिपत्र पर इस न्यायालय द्वारा ***रमेश कुमार मीणा बनाम राजस्थान राज्य***[6] के मामले में विचार किया गया है और उसे विधिवत बरकरार रखा गया है।

8.5. नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह किसी अभ्यर्थी को नियोजन में सम्मिलित करने का निर्णय लेते समय सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों के अनुसार अभ्यर्थी की उपयुक्तता पर विचार करे, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। यह मत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने ***भींया राम जाजड़ा***

बनाम राजस्थान राज्य[7] के मामले में व्यक्त किया था, जिसे खंडपीठ ने ***डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 602/2022 (भींया राम जाजड़ा बनाम राजस्थान राज्य)*** पर दिनांक 2.11.2022 के आदेश द्वारा निर्णय देते हुए बरकरार रखा था। इसके अतिरिक्त, विद्वान एएजी ने ***भारत संघ बनाम मेथु मेदा*** [8] के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया।

8.6. स्क्रीनिंग समिति के लिए याचिकाकर्ता को नियुक्ति न देने के कारणों का प्रकटन करना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में, ***बैद्यनाथ यादव बनाम आदित्य नारायण रॉय***[9] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर बहस के दौरान हवाला दिया गया।

<u>चर्चा और विश्लेषण</u>

9. अब प्रतिद्वंद्वी के उपर्युक्त तर्कों के गुणों एवं अवगुणों पर विचार करते हुए, मैं दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अब आदेश के अगले भाग में अपने

---

5 (2011) 12 एससीसी 85

6 राजस्थान उच्च न्यायालय, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17972/2022

7 राजस्थान उच्च न्यायालय, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16998/2021

8 (2022) 1 एससीसी 1

9 (2020) 16 एससीसी 799

तार्किकता और चर्चा को अभिलिखित करूँगा और लागू कानून की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद अपनी राय प्रस्तुत करूँगा।

10. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को राजस्थान प्रशासनिक सेवा संयुक्त परीक्षा, 2021-22 में सफल घोषित किया गया था और उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण हुआ। हालाँकि, आपराधिक मामला लंबित होने के कारण उसकी नियुक्ति रोक दी गई, जिसमें वह विचाराधीन है।

11. इस न्यायालय के समक्ष यह विवाद्यक है कि क्या उक्त आपराधिक मामले का लंबित होना, जिसमें नैतिक अधमता शामिल नहीं है, याचिकाकर्ता को नियुक्ति से इंकार करने का आधार हो सकता है, विशेषकर तब जब उसने उक्त मामले के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाया हो।

12. ***अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2016) 8 एससीसी 471*** में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करने के लिए सिद्धांत अधिकथित किए हैं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

> *30. नियोक्ता को सेवा समाप्त करने या अन्यथा लोप को क्षमा करने का "विवेकाधिकार" दिया गया है। वैसे भी, जब नियोक्ता के पास निर्णय*

लेने का अधिकार होता है, जबकि सत्यापन फॉर्म भरते समय घोषणाकर्ता को पहले ही दोषसिद्ध/दोषमुक्त कर दिया गया हो, तो ऐसे मामले में, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत सेवाओं के लिए किसी पदधारी की उपयुक्तता का निर्धारण करते समय सभी तथ्यों और आसन्न परिस्थितियों, जिनमें छिपाई गई जानकारी या गलत जानकारी का प्रभाव भी शामिल है, को ध्यान में रखा जाता है। यदि नियोक्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि छिपाई गई जानकारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और यदि तथ्यों का प्रकटन भी किया गया होता, तो इससे पदधारी की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों को देखते हुए, उसे लोप को क्षमा करने का अधिकार है। हालाँकि, ऐसा करते समय नियोक्ता को पद की प्रकृति और निभाए जाने वाले कर्तव्यों का सम्यक् ध्यान रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना होगा। उच्च अधिकारियों/उच्च पदों के लिए, मानक बहुत ऊँचे होने चाहिए और थोड़ी सी भी गलत जानकारी या छिपाया जाना किसी व्यक्ति को पद के लिए अनुपयुक्त बना सकती है। हालाँकि, हर पद पर एक ही मानक लागू नहीं किया जा सकता। समाप्त हो चुके आपराधिक मामलों में, उसे यह देखा जाना चाहिए कि जो दबाया गया है वह महत्वपूर्ण तथ्य है और इससे पदधारी नियुक्ति के लिए अयोग्य हो गया होगा। किसी नियोक्ता के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद ऐसे पदधारी की नियुक्ति न करना या यदि नियुक्त किया गया है तो उसकी सेवाएं समाप्त करना न्यायोचित होगा। भले ही प्रकटन सत्यता से किया गया हो, नियोक्ता को योग्यता पर विचार करने का अधिकार है और ऐसा करते समय दोषसिद्धि के प्रभाव और मामले की पृष्ठभूमि के तथ्यों, अपराध की प्रकृति आदि पर विचार किया जाना चाहिए। भले ही बरी कर दिया गया हो, नियोक्ता अपराध की प्रकृति पर विचार कर सकता है, चाहे दोषमुक्ति सम्मानजनक हो या तकनीकी कारणों से संदेह का लाभ देना हो और अयोग्य या संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को नियुक्त करने से इनकार कर सकता है। यदि नियोक्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता

है कि आपराधिक मामले में दोषसिद्धि या दोषमुक्ति का आधार नियोजन के लिए योग्यता को प्रभावित नहीं करेगा, तो पदधारी को नियुक्त किया जा सकता है या सेवा में बनाए रखा जा सकता है।

34. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपयुक्तता का आकलन करने के लिए चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है और नियोक्ता को पदधारी के पूर्ववृत्त का आकलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अंतिम कार्यवाही सभी सुसंगत पहलुओं पर सम्यक् विचार के बाद वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए।

35. "महत्वपूर्ण" जानकारी को दबाने का तात्पर्य यह है कि जो दबाया जा रहा है वह "महत्वपूर्ण" है, न कि केवल तकनीकी या मामूली मामला। नियोक्ता को अभ्यर्थिता रद्द करने या कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते समय, यदि कोई हों, तो नियमों/निर्देशों का सम्यक् ध्यान रखकर कार्य करना होगा। यद्यपि, जिस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है, वह नियुक्ति या सेवा में निरंतरता के लिए अप्रतिबंधित अधिकार का दावा नहीं कर सकता, लेकिन उसे यह अधिकार है कि उसके साथ मनमाना व्यवहार न किया जाए और शक्ति का प्रयोग निष्पक्षता के साथ, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त तरीके से किया जाना चाहिए।

36. कौन सा मानदंड लागू किया जाए, यह पद की प्रकृति पर निर्भर करता है। उच्च पदों के लिए, केवल वर्दीधारी सेवा के लिए ही नहीं, सभी सेवाओं के लिए अधिक कठोर मानदंड लागू होंगे। निचले पदों के लिए, जो संवेदनशील नहीं हैं, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता पर दमन के प्रभाव पर संबंधित अधिकारियों द्वारा पद/कर्तव्यों/सेवाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए और विभिन्न पहलुओं पर सम्यक् विचार करते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

37. "मैकार्थीवाद" संवैधानिक लक्ष्य के विपरीत है, उपयुक्त मामलों में युवा अपराधियों को सुधार का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, सुधारात्मक सिद्धांत की परस्पर क्रिया को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है और न ही इसे सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है, लेकिन अभ्यर्थिता रद्द करने या किसी कर्मचारी को सेवा से उन्मोचित करने की शक्ति का प्रयोग करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

38. हमने विभिन्न निर्णयों पर ध्यान दिया है और यथासंभव उन्हें समझाने और उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हम अपने निष्कर्ष को इस प्रकार संक्षेपित करते हैं:

38.1. किसी अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता को दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या गिरफ्तारी, या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में दी गई जानकारी, चाहे सेवा में आने से पहले या बाद में, सत्य होनी चाहिए तथा अपेक्षित जानकारी को छिपाया या गलत नहीं बताया जाना चाहिए।

38.2. झूठी सूचना देने पर सेवा समाप्ति या अभ्यर्थिता रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी सूचना देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, का ध्यान रख सकता है।

38.3. नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

38.4. यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता की सूचना को दबाया गया हो या गलत जानकारी दी गई हो, जहां आवेदन/सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति अभिलिखित की जा चुकी हो और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता है:

38.4.1. किसी ऐसे मामले में जो प्रकृति में तुच्छ हो और जिसमें दोषसिद्धि अभिलिखित की गई हो, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या कोई लघु अपराध, जिसके प्रकट होने पर पदधारी को प्रश्नगत पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, नियोक्ता अपने विवेकानुसार, चूक को क्षमा करके तथ्यों को छिपाने या गलत सूचना देने की बात को नजरअंदाज कर सकता है।

38.4.2. जहां किसी मामले में दोषसिद्धि अभिलिखित की गई है, जो कि तुच्छ प्रकृति का नहीं है, नियोक्ता कर्मचारी की अभ्यर्थिता रद्द कर सकता है या उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

38.4.3. यदि नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से संबंधित मामले में तकनीकी आधार पर पहले ही दोषमुक्ति अभिलिखित की जा चुकी है और यह स्पष्ट दोषमुक्ति का मामला नहीं है, या युक्तियुक्त संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववृत्त के संबंध में उपलब्ध सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी की सेवा जारी रखने के संबंध में समुचित निर्णय ले सकता है।

38.5. ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने समाप्त हो चुके आपराधिक मामले की घोषणा सत्यतापूर्वक की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उसे अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

38.6. यदि किसी मामले में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में सत्यतापूर्वक तथ्य घोषित किया गया हो, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अपने विवेकानुसार, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन अभ्यर्थी को नियुक्त कर सकता है।

38.7. कई लंबित मामलों के संबंध में जानबूझकर तथ्य छिपाने के मामले में ऐसी झूठी सूचना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी और

नियोक्ता अभ्यर्थिता रद्द करने या सेवाएं समाप्त करने का उचित आदेश पारित कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, जिसके विरुद्ध कई आपराधिक मामले लंबित हों, उचित नहीं होगी।

38.8 यदि कोई आपराधिक मामला लंबित है, लेकिन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को इसकी जानकारी नहीं है, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकारी अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

38.9. यदि कर्मचारी की सेवा स्थायी है, तो सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी छिपाने या प्रस्तुत करने के आधार पर सेवा समाप्ति/हटाने या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।

38.10. छिपाई गई या गलत जानकारी का अवधारण करने के लिए अनुप्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विनिर्दिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं। केवल वही जानकारी प्रकट की जानी चाहिए जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था। यदि नियोक्ता को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो मांगी नहीं गई है, लेकिन प्रासंगिक है, तो उपयुक्तता के प्रश्न का समाधान करते समय उस पर वस्तुनिष्ठ रीति से विचार किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में किसी तथ्य के बारे में जानकारी छिपाने या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, जिसके बारे में पूछा ही नहीं गया था।

38.11. किसी व्यक्ति को सत्य का गोपन या असत्य के सुझाव का दोषी ठहराए जाने से पहले, उसे तथ्य का ज्ञान होना चाहिए।

13. वर्तमान मामले में, एफआईआर स्वयं एक वैवाहिक विवाद से उपजी है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध मामले का सत्य प्रकटन किया है।

14. इस मामले में, विज्ञापन के अनुसरण में, स्वीकार्यतः याचिकाकर्ता ने पद के लिए अपने आवेदन पत्र में अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले के तथ्यों का सत्यतापूर्वक प्रकटन किया था। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इस पर विधिवत विचार किया गया। याचिकाकर्ता को प्रवेश पत्र जारी किया गया, उसने प्रतियोगी लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार की तैयारी में कड़ी मेहनत की, योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त किया और चयनित भी हुई। प्रतिवादीगण ने उसका चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया।

15. प्रतिवादीगण ने नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता और उपयुक्तता पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। उनसे कम योग्यता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। फिर भी याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया और मौखिक रूप से बताया गया कि उसके पति द्वारा उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले के संबंध में की गई शिकायत के कारण उनकी नियुक्ति रोक दी गई है।

16. प्रतिवादीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन की शर्त संख्या 15 के सुसंगत भाग पर भरोसा किया गया है कि यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो वह नियुक्ति के लिए अपात्र होगा/होगी। प्रतिवादीगण

ने सुसंगत वैधानिक भर्ती नियमों के तहत किसी अभ्यर्थी की स्वतः अपात्रता के लिए कोई चिरभोग नहीं दिखाया है यदि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन है। देश का स्थापित कानून यह है कि जब तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में चरित्र सत्यापन फॉर्म में तथ्यों को सत्यता से घोषित किया गया हो, तो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर नियोक्ता अपने विवेक से अभ्यर्थी की नियुक्ति कर सकता है और यद्यपि नियोक्ता अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त को न्यायनिर्णीत करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अंतिम कार्रवाई सभी सुसंगत पहलुओं का सम्यक् ध्यान रखने के बाद वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए।

17. इस स्थिति में, मैं इस मत का हूं कि दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन की शर्त संख्या 15 का वह भाग, अर्थात् यदि अभ्यर्थी किसी लंबित आपराधिक मामले में न्यायालय में विचाराधीन है, तो वह नियुक्ति के लिए अपात्र होगा, जो कि कानूनन अमान्य है। प्रतिवादीगण द्वारा इसे विज्ञापन में गलत तरीके से अंतःस्थापित किया गया था और इसे अनदेखा किया जाना चाहिए। अतः प्रतिवादीगण का इस पर भरोसा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

18. मैंने पहले ही ऊपर यह राय व्यक्त की है कि दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन की शर्त संख्या 15 का वह भाग कानूनन अमान्य है और प्रतिवादियों ने इसे विज्ञापन में गलत तरीके से डाला है। मेरा मानना है कि, वे अपनी स्वयं की गलती का अनुचित और नावाजिब लाभ उठाकर याचिकाकर्ता को चयन की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में उसकी सफलता और योग्यता के कठिन परिश्रम से अर्जित फल से वंचित नहीं कर सकते। इस तथा उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन की शर्त संख्या 15 पर आधारित इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि याचिका खारिज कर दी जाए क्योंकि याचिकाकर्ता इस पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से अयोग्य है।

19. जैसा कि *अवतार सिंह* (सुप्रा) (सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ) में देखा जा सकता है, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि नियोक्ता अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त को न्यायनिर्णीत करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अंतिम कार्रवाई सभी सुसंगत पहलुओं का सम्यक् ध्यान रखकर वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए और यदि किसी तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तथ्यों की सत्यतापूर्वक घोषणा की गई हो, तो नियोक्ता मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों के आधार पर, अपने विवेकानुसार, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन अभ्यर्थी को नियुक्त कर सकता है।

20. दिनांक 04.12.2019 के परिपत्र (अनुलग्नक आर-1) के परिशीलन से पता चलता है कि यह सरकार के अपने पदाधिकारियों के लिए प्रशासनिक दिशा-निर्देशों की प्रकृति का है और अंतिम निर्णय - किसी अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाए या नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, कार्य की प्रकृति और योग्यता के आधार पर पद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाना है और प्रत्येक मामले में, किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता पर निर्णय लेते समय, नियुक्ति प्राधिकारी को अपराध की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके (अभ्यर्थी के) चरित्र का आकलन करना चाहिए।

20.1. जैसा कि पूर्वोक्त है, दिनांक 04.12.2019 का वही परिपत्र, इसी पीठ द्वारा हाल ही में ***कुलजीत सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11588/2023,*** दिनांक 21.03.2025 में दिए गए निर्णय में भी व्याख्या का विषय वस्तु था। उसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

"13. अब प्रतिवादीगण द्वारा उठाए गए बचाव के मुख्य आधार अर्थात परिपत्र दिनांक 04.12.2019 (जो अंशतः हिंदी और जो अंशतः अंग्रेजी में है) पर ध्यान देते हुए, इसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:-

> *"अतः शासन में सभी स्तरों पर एकरूपता बनाए रखने के हित में, इस विषय में पूर्व में जारी तत्संबंधी सभी परिपत्रों/निर्देशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं:-*
>
> *चरित्र सत्यापन के संबंध में विभिन्न सेवा नियमों में प्रावधान इस प्रकार हैं:-"*

चरित्र। सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए योग्य बनाए। उसे उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी से अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की थी और ऐसे दो प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि से छह माह से अधिक पूर्व के न हों, दो ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत करने होंगे जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित न हों और न ही उससे संबंधित हों।

(1) न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का अर्थ यह नहीं है कि उसे अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया जाए। दोषसिद्धि की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यदि उनमें कोई नैतिक अधमता या हिंसा के अपराधों से या किसी ऐसे आंदोलन से जुड़ाव शामिल नहीं है जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसक तरीकों से उखाड़ फेंकना हो, तो केवल दोषसिद्धि को निरर्हता नहीं माना जाना चाहिए।

(2) ऐसे पूर्व कैदियों के साथ, जो जेल में अपने अनुशासित जीवन और उसके बाद के अच्छे आचरण से पूरी तरह सुधरे हुए साबित

हुए हैं, सेवा में नियुक्ति के उद्देश्य से उनकी पूर्व दोषसिद्धि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जिन लोगों को नैतिक अधमता या हिंसा से संबंधित अपराधों के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, उन्हें उत्तररक्षा गृह के अधीक्षक या यदि किसी विशेष जिले में ऐसे गृह नहीं हैं, तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक से इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर पूर्णतः सुधरे हुए माना जाएगा।

(3) नैतिक अधमता या हिंसा से संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को, उत्तररक्षा गृह के अधीक्षक से, या यदि किसी विशेष जिले में ऐसा कोई गृह नहीं है, तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक से, कारागार महानिरीक्षक द्वारा समर्थित, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे रोजगार के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि उन्होंने जेल में रहते हुए अपने अनुशासित जीवन और पश्चातवर्ती देखभाल गृह में अपने अच्छे आचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे पूर्णतः सुधर गए हैं।

इस संबंध में प्रकरण मान. सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिल्ली प्रशासन बनाम सुशील कुमार (1996 (11) CC 605) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि "सेवा में नियुक्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्व आचरण महत्वपूर्ण है। आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति अर्थात् वास्तविक परिणाम इतना सुसंगत नहीं है जितना की अभ्यर्थी का आचरण व चरित्र।"

सेवा नियमों की अपेक्षा यह है कि 'किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने या न दिए जाने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं जिस पद पर नियुक्ति दी जानी है उस पद के कार्य की प्रकृति एवं गरिमा के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय लेना चाहिए। पूर्व

आचरण के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के योग्य या अयोग्य पाने का निर्णय करते समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक प्रकरण में अपराध की परिस्थितियों को भी ध्यान में रख कर अभ्यर्थी के आचरण का आंकलन करना चाहिए।'

उक्तानुसार यह निर्विवाद है कि किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने/नहीं दिए जाने का निर्णय अंतिम रूप से नियुक्ति प्राधिकारी को ही, सुसंगत सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण के आधार पर लेना होगा। तथापि कुछ प्रकरण ऐसी प्रकृति के होंगे जिनमें स्पष्टतः यह माना जा सकता है कि अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है जबकि अन्य कुछ ऐसे प्रकरण भी होंगे जिनमें नियुक्ति से वंचित किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित/न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः नियुक्ति अधिकारियों के सामान्य मार्गदर्शनार्थ निर्देशन के रूप में ऐसी प्रकृति के प्रकरणों को यहां लेखबद्ध किया जा रहा है :-

1. ऐसे प्रकरण/स्थितियाँ जिनमें नियुक्ति हेतु अपात्रता मानी जानी चाहिए:-

*यदि किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध निम्न में से किसी भी प्रकार के अपराध के तहत प्रकरण **अन्वेक्षणाधीन/न्यायालय में विचाराधीन (under trial)** है अथवा दोषसिद्धि उपरांत सजा हो चुकी है, तो उसे राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाना चाहिए :-*

(i) नैतिक अधमता यथा छल, कूटरचना, मत्तता, बलात्संग, किसी महिला की लज्जा भंग करने के अपराध में अन्तर्वलितता (involvement) हो।

(ii) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 26) में यथापरिभाषित अवैध व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(iii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 104) में यथापरिभाषित अनैतिक दुर्व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(iv) नियोजित हिंसा या राज्य के विरुद्ध ऐसे किसी अपराध में अन्तर्वलितता हो, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) के अध्याय 6 में वर्णित है।

(v) भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों में अन्तर्वलितता हो।

(vi) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148 (बलवा करना) के अपराध में अन्तर्वलितता हो।

(vii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 A (स्त्रियों के प्रति आपराधिक दुर्व्यवहार-दहेज) के अपराध में अन्तर्वलितता हो।

(viii) अजा/अजजा अधिनियम 1989 के तहत अपराध में अन्तर्वलितता हो।

(ix) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012 के तहत अपराध में अन्तर्वलितता हो।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकार के अपराधों से संबंधित कोई भी सूचना जानबूझकर छिपाने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति हेतु अपात्र माना जाएगा।

2. ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमें अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाना चाहिए:-

(i) ***जिन अभ्यर्थियों को आपराधिक प्रकरण में अन्वेषण में दोषी नहीं पाया गया हो तथा संबंधित भर्ती में परीक्षा परिणाम जारी होने के एक वर्ष के भीतर अन्वेषणोपरांत एफ.आर. न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी हो।***

(ii) ***दोषमुक्ति के मामलों में, विभाग में इस संबंध में गठित समिति जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी सदस्य होगा, अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त (antecedents), आरोपों की गहनता एवं दोषमुक्ति का आधार, अर्थात क्या दोषमुक्ति सम्मानजनक रूप से प्रदान की गई है अथवा संदेह के लाभ/समझौते के आधार पर प्रदान की गई है, आदि का समुचित परीक्षण***

कर, अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के संबंध में निर्णय लेगी।

(iii) अभ्यर्थियों के ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया हो। (दोषसिद्धि किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं/राजकीय सेवा/भावी जीवन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं)।

(iv) अभ्यर्थियों के ऐसे प्रकरण जिनमें दोषी करार दिया जाकर ***किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2005 की धारा 24(i) का लाभ प्रदान किया गया हो।***

समस्त नियोक्ता अधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वे अभ्यर्थियों के चरित्र/पुलिस सत्यापन के संबंध में नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों एवं इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए समुचित निर्णय लेंगे। तथा उक्त प्रकृति के प्रकरणों को न तो अनावश्यक रूप से लम्बित रखेंगे और न ही कार्मिक विभाग को संदर्भित करेंगे।"

14. दिनांक 04.12.2019 के परिपत्र के पाठ से यह देखा जा सकता है कि यह संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य

दिशानिर्देशों की प्रकृति का है और किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता को न्यायनिर्णीत करने का अंतिम निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया जाना है। इसके अलावा, उक्त परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति करते समय उसका चरित्र और पिछला आचरण महत्वपूर्ण है। आपराधिक मामले का परिणाम - चाहे दोषसिद्धि हो या दोषमुक्ति - उतना सुसंगत नहीं है जितना कि उसका आचरण और चरित्र। ये दिशानिर्देश यह भी दर्शाते हैं कि सेवा नियमों के अनुसार, आपराधिक अपराधों (स्पष्ट रूप से कोई भी अपराध, जिसमें भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) के अध्याय XVI और XVII में आने वाले अपराध या नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध शामिल हैं) के लिए दोषसिद्धि और सजा सुनाए जाने के बाद भी किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए कोई पूर्ण या स्वतः निरर्हता नहीं है और कुछ शर्तों को पूरा करने पर, ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

14.1. परिपत्र में व्यक्तिगत मूल्यांकन पर ज़ोर दिया गया है, और यह सही भी है, कि इसका उद्देश्य कोई कठोर नियम-पुस्तिका नहीं है, बल्कि इसमें दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना है। संदर्भ मायने रखता है। इसलिए, किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता के बारे में अंतिम निर्णय मामले दर मामले के आधार पर लिया जाना चाहिए। इससे नियुक्ति प्राधिकारी को केवल आपराधिक कार्रवाई के परिणाम पर निर्भर रहने के बजाय, अभ्यर्थी के चरित्र और पिछले आचरण की समग्रता को देखने का अवसर मिलता है।

14.2. यह उन मामलों में कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है जहाँ किसी अभ्यर्थी ने कोई लघु या छिटपुट अपराध किया हो, और समय के साथ उसके मज़बूत सुधार और सदाचरण का मामला भी हो, लेकिन फिर भी उसे केवल नियमित प्रक्रियाओं द्वारा खारिज कर दिया जाता है। परिपत्र

में निहित दिशानिर्देशों को इतना कठोर नहीं माना जाना चाहिए कि इस संभावना की भी अनुमति न दी जाए कि किसी अभ्यर्थी का अतीत, भले ही वह संदिग्ध या विचाराधीन होने के कारण कलंकित हो, बाद में सुधार और अनुकरणीय व्यवहार से कमज़ोर हो सकता है। वर्तमान मामले में, प्रश्नगत एफआईआर के अलावा कोई अन्य आपराधिक इतिवृत्त दर्ज नहीं है, जो भी किसी व्यक्तिगत विवाद के कारण उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। इसके बारे में बाद में और अधिक।"

20.2. उपरोक्त के आलोक में, सम्बद्ध प्रश्न यह उठता है कि क्या मृतक पति द्वारा अपनी पत्नी (यहां याचिकाकर्ता) के विरुद्ध लगाए गए आरोप, क्योंकि इस स्तर पर वह एक विचाराधीन और संदिग्ध है, को इस हद तक प्रमाणित किया जा सकता है कि आपराधिक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसके लिए नागरिक संकट उत्पन्न हो जाए?

20.3. उत्तर नकारात्मक है और दिनांक 04.12.2019 के परिपत्र में ही निहित है जिसे अवतार सिंह (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनुपात के साथ पढ़ा जाए।

20.4 प्रतिवादीगण द्वारा उद्धृत उक्त परिपत्र में निस्संदेह यह प्रावधान है कि जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI और XVII के अंतर्गत मामलों का अन्वेषण या विचारण लंबित है, या जिन्हें दोषी ठहराया गया है, उन्हें नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाना चाहिए। हालाँकि, इस व्यापक निरर्हता को ***अवतार सिंह बनाम भारत संघ*** मामले

में सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित सूक्ष्म सिद्धांतों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए, जो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि नियुक्ति प्राधिकारी को अपराध की प्रकृति, पद के लिए उसकी प्रासंगिकता और क्या उसमें नैतिक अधमता शामिल है, के आधार पर अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आकलन करना चाहिए, न कि मात्र मामले के लंबित होने के आधार पर नियुक्ति से यांत्रिक रूप से इनकार कर देना चाहिए। प्रतिवादीगण द्वारा उद्धृत निर्णय, जैसे ***भारत संघ बनाम मेथु मेदा*** और ***भींया राम जाजरा बनाम राजस्थान राज्य,*** निस्संदेह नियोक्ता के पूर्ववृत्त का मूल्यांकन करने के विवेकाधिकार को रेखांकित करते हैं, लेकिन वे अवतार सिंह के ढाँचे को रद्द नहीं करते, जो मामूली अपराधों या नैतिक अधमता से असंबंधित मामलों में लचीलापन प्रदान करता है। याचिकाकर्ता के मामले में, वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आईपीसी की धारा 452, 341, 323 और 143 के तहत अपराध, प्रथम दृष्टया किसी ऐसे चरित्र दोष को नहीं दर्शाते जो उसे आरएएस पद के लिए अयोग्य ठहराए, इसलिए ऐसे प्रासंगिक मूल्यांकन की अपेक्षा है जिससे परिपत्र का कठोर अनुप्रयोग आवश्यक हो।

20.5 अवतार सिंह के मामले में दिए गए निर्णय में नियुक्ति से मनमाने ढंग से इंकार करने के विरुद्ध स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है तथा यह

अपेक्षित किया गया है कि तथ्यात्मक परिस्थितियों के समुच्चय पर विचार करने के उपरांत, विशेषकर जब याचिकाकर्ता द्वारा किसी तथ्य का दमन न किया गया हो तथा अपराध बहुसंख्यक या जघन्य प्रकृति के न हों, तब अनुपातिक प्रतिक्रिया अपनाई जाए। यह दृष्टिकोण उक्त परिपत्र में भी प्रतिबिंबित होता है और इसका आशय भी यही है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, नियुक्ति प्राधिकारी को एक समान रोक लगाने के बजाय प्रत्येक मामले के विशिष्ट गुण और दोष का आकलन करना चाहिए। परिणामस्वरूप, प्रतिवादीगण द्वारा उद्धृत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को, नियोक्ता के विवेक की पुष्टि करते हुए, अवतार सिंह के व्यापक, सुधारात्मक दृष्टिकोण के आगे झुकना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति केवल वैवाहिक कलह से उत्पन्न आपराधिक मामले जैसे कि वर्तमान मामले के लंबित रहने और किसी जघन्य अपराध या नैतिक अधमता से संबंधित न होने के आधार पर अन्यायपूर्ण रूप से रोकी न जाए।

21. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित कानून और प्रतिवादीगण के स्वयं के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 में नीति दिशानिर्देशों के मद्देनजर, मेरी राय है कि नियुक्ति प्राधिकारी/प्रतिवादीगण के लिए यह आवश्यक था कि वे वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मामले के सुसंगत तथ्यों और

परिस्थितियों पर विचार करें, जिसमें कर्तव्यों की प्रकृति और प्रश्नगत पद की स्थिति, साथ ही अपराध की परिस्थितियां भी शामिल हैं, और फिर याचिकाकर्ता की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता पर गुण और दोष के आधार पर निर्णय लें।

22. इस पहलू पर, प्रतिवादीगण ने याचिका के उत्तर में केवल यह अभिवाक् किया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रस्तुत चालान के कारण, कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के बिंदु संख्या 1 के अनुसार, याचिकाकर्ता को नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाता है। न तो यह अभिवाक् किया गया है और न ही अभिलेख पर दर्शाया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मामले के सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों, जिनमें कर्तव्यों की प्रकृति और पद की स्थिति, तथा अपराध की परिस्थितियाँ शामिल हैं, पर विधिवत विचार किया था और फिर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया था कि याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त है।

23. प्रतिवादीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि एक पुनर्विलोकन समिति ने याचिकाकर्ता की उपयुक्तता के प्रश्न पर विचार किया था और उसे नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त पाया था, पूरी तरह से उनके अभिवचनों से परे है और अन्यथा भी बिना किसी समर्थनकारी

सामग्री को अभिलेख पर लाया गया है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित हो सके कि किसी पुनरीक्षण समिति ने याचिकाकर्ता की उपयुक्तता के प्रश्न पर विचार किया हो, उससे भी आगे बढ़कर याचिकाकर्ता की दोषिता एवं उस पर आरोपित भूमिका पर विचार करते हुए उसे नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त पाया हो। यह दावा भी नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी स्क्रीनिंग समिति के विचार-विमर्श का हिस्सा था।

23.1 सुनवाई के दौरान, न्यायालय के एक प्रश्न पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अवगत करवाया कि यद्यपि स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया था, परन्तु लिए गए मत को अभिलेख पर नहीं लिया गया है। यदि समय की अनुमति हो तो उसे अभिलेख में रखा जा सकता है। बहरहाल, यह प्रकट होता है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने वस्तुनिष्ठ सोच के आधार पर कोई स्वतंत्र विचार नहीं अपनाया है, सिवाय 04.12.2019 के परिपत्र के तकनीकी आधार पर याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने के यांत्रिक निष्कर्ष के, जिसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI और XVII के अंतर्गत आने वाले अपराध किसी भी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी पाने के हक से वंचित करते हैं।

24. परिणामस्वरूप, प्रतिवादीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि केवल इसलिए कि कथित अपराध आईपीसी के अध्याय XVI और XVII के तहत वर्गीकृत हैं, इसलिए याचिकाकर्ता स्वयं अपात्र है, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

25. मेरी राय में, नैसर्गिक न्याय और निष्पक्षता के नियमों के अनुसार, प्रतिवादीगण को कम से कम याचिकाकर्ता को लिखित रूप में यह बताना चाहिए था कि योग्यता के आधार पर चयन के बावजूद, उसे नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं किया गया, जिससे याचिकाकर्ता को, यदि कोई कारण दिए गए हों, तो उन्हें प्रश्नांकित/चुनौती देने के अवसर से भी वंचित कर दिया गया।

26. भले ही, जैसा कि तर्क दिया गया है, स्क्रीनिंग कमेटी के लिए याचिकाकर्ता को नियुक्ति न देने के कारणों का प्रकटन करना आवश्यक नहीं था, फिर भी इससे प्रतिवादीगण को न्यायालय की अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए यह दिखाने के लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने और अभिवाक् करने की बाध्यता से मुक्ति नहीं मिलती कि नियुक्ति प्राधिकारी ने अपने विवेक से सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के बाद, वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर समुचित विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इनकार करने का निर्णय लिया था। कहने की आवश्यकता

नहीं है कि नियुक्ति प्राधिकारी में निहित विवेक का प्रयोग न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त तरीके से किया जाना था, न कि मनमाने या अनुचित तरीके से। इसके अलावा, इसे अभिलेख पर भी प्रदर्शित किया जाना आवश्यक था। प्रतिवादीगण उस बाध्यता का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

27. याचिकाकर्ता के पति यशवर्धन सिंह (अब दिवंगत) द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 530 दिनांक 04.09.2020 के अनुसार, अपराधों की कुछ परिस्थितियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

28. दंपति के विवाह से, बेटी भूमि का जन्म 16.01.2018 को हुआ था। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 16.08.2021 से पहले हो गई थी। एफआईआर से पता चलता है कि 04.09.2020 को अभिकथित घटना के समय, याचिकाकर्ता नवजात बेटी (तब लगभग 18 महीने की उम्र की), उसके भाई भोज राज सिंह, उनकी मां ओम कंवर, पिता बलबीर सिंह और एक अन्य व्यक्ति, जिसे उग्रसेन के रूप में संबोधित किया जा रहा था, के साथ पिस्तौल से लैस होकर याचिकाकर्ता के पति (परिवादी) के घर गए थे। एफआईआर में यह प्रकट नहीं होता है कि उग्रसेन को छोड़कर उनमें से किसी के पास कोई हथियार था। याचिकाकर्ता पर जो भूमिका बताई गई है वह यह है कि वह

परिवादी की पिटाई करने में अन्य हमलावरों में शामिल हो गई थी और जब उसके भाई प्रदुमन सिंह ने उसे बचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसे भी पीटने की कोशिश की और याचिकाकर्ता ने परिवादी की मां मीनाक्षी कंवर को अपने पैर से मारा था। प्रासंगिक रूप से, एफआईआर में अपराध करने के लिए अभियुक्त के किसी भी उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

29. एफआईआर में अभिकथित अपराध धारा 452 (उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के बाद गृह अतिचार); धारा 341 (सदोष अवरोध की परिभाषा, धारा 342 के अंतर्गत दंडनीय), धारा 323 (स्वेच्छया उपहति कारित करना); धारा 143 आईपीसी (विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए) और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अनुसार, धारा 323/341/342 आईपीसी के अंतर्गत अपराध समझौता योग्य हैं। आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराध के संबंध में, एफआईआर यह नहीं दिखाती है कि उग्रसेन को छोड़कर हमलावरों में से किसी के पास कोई हथियार था। उसके (उग्रसेन) पास पिस्तौल होने की बात कही गई है, लेकिन इसे लहराने या इस्तेमाल करने का कोई आरोप नहीं है। किसी भी मामले में, सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत दायर अंतिम रिपोर्ट में, आयुध

अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अभिकथित अपराध को हटा दिया गया था।

29.1. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एफआईआर याचिकाकर्ता और उसके पति (अब दिवंगत) के बीच वैवाहिक कलह से उत्पन्न हुई थी। एफआईआर में दर्ज अपराध में नैतिक अधमता अंतर्वलित नहीं हैं। याचिकाकर्ता को सौंपी गई भूमिका ऐसी प्रकृति की नहीं है जिससे नियुक्ति के बाद उसके द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति प्रभावित हो।

30. संक्षेप में, *अनिल भारद्वाज बनाम मध्य प्रदेश* राज्य के फैसले पर प्रतिवादीगण द्वारा रखा गया भरोसा भिन्न है, क्योंकि उस मामले में, लंबित आपराधिक मामले में धारा 498 ए और 406 आईपीसी के अंतर्गत आरोप शामिल थे, जो कि उसमें लगाए गए आरोपों के आलोक में, नैतिक और वित्तीय अखंडता पर सीधा असर डालते हैं। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता और उसके पति के बीच विवाद से उत्पन्न लघु अपराध अंतर्वलित हैं। यह तर्क कि विज्ञापन की शर्त संख्या 15 याचिकाकर्ता को नियोजन से निरर्हित करती है, भी टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि इस शर्त का *अवतार सिंह (सुप्रा)* में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित स्थापित सिद्धांतों पर कोई अध्यारोही प्रभाव नहीं पड़ता है। नियुक्ति प्राधिकारी को यह आकलन करना चाहिए कि क्या अभिकथित

अपराध की प्रकृति अभ्यर्थी को लोक सेवा से निरर्हित करती है, इस मामले में, ऐसी स्थिति प्रकट नहीं होती है।

31. वैसे भी, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि युवाओं को क्षणिक आवेश में की गई उन अविवेकपूर्ण कृत्यों के प्रति एक सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है, जो आशयित भी हो सकती हैं और नहीं भी। सामाजिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य, निश्चित रूप से अपराध की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, ऐसा होना चाहिए कि युवावस्था में किये गए अविवेकपूर्ण कृत्य किसी व्यक्ति के भविष्य को स्थायी रूप से कलंकित न करें। ऐसे युवाओं के साथ व्यवहार करते समय एक करुणामय और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिन्होंने मामूली अपराध किए हों। युवा अभी भी भावनात्मक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया में हैं। वे अक्सर आवेग में आकर कार्य करते हैं, और कभी-कभी बिना सोचे-समझे निर्णय ले लेते हैं। एक दंडात्मक दृष्टिकोण जो अपेक्षाकृत छोटी-छोटी गलतियों के लिए युवाओं को स्थायी रूप से अपराधी के रूप में चिह्नित करता है, न्याय/निष्पक्षता, अपराध की पुनरावृत्ति और सुधार व समाज में पुनः एकीकरण के सिद्धांतों के विपरीत है।

32. यह कहने में कोई दो राय नहीं है कि मात्र एफआईआर दर्ज होने से कोई नागरिक दोषी या चरित्रहीन नहीं हो जाता। हर नागरिक को तब तक

निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। हस्तगत मामले में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की अभिकथित भूमिका ऐसी प्रकृति की नहीं है जिससे उसके द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति प्रभावित हो या अन्यथा, नैतिक अधमता की सीमा तक पहुँच जाए।

33. इसके अलावा, प्रशासनिक प्राधिकारी को आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। सभी अपराध समान गंभीरता के नहीं होते, और लघु अवविवेकपूर्ण कृत्यों को गंभीर अपराधों के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई है कि उसके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं।

34. पूर्वगामी चर्चा की दृष्टि में, यह न्यायालय यह मानता है कि केवल लंबित आपराधिक मामले के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इनकार करना, जिसमें नैतिक अधमता शामिल नहीं है, मनमाना और असंधार्य है।

35. परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 23.07.2024 के अंतरिम आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता की नियुक्ति को उसकी योग्यता

और श्रेणी के अनुसार पूर्ण मानें, जो कि लंबित आपराधिक मामले के परिणाम के अधीन है, और साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा एक हलफनामे पर यह वचनबद्धता भी प्रस्तुत करें कि लंबित आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि की स्थिति में, वह संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के आधार पर किसी विशेष समता का दावा नहीं करेगी।

36. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता को उक्त मामले में दोषमुक्त या उन्मोचित कर दिया जाता है तो उसे सभी परिणामी लाभ प्रदान करने में कोई बाधा नहीं होगी।

37. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किये जाते है।

(अरुण मोंगा),जे

124-/जितेंद्र

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हां/नहीं।

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी

संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी